कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बिहिया
जिला– भोजपुर

महाशय,

नगर पंचायत बिहिया के वर्ष 2013–14 से 2014–15 के अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1143 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भोजपुर

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत, बिहिया
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 1143/15–16
(अवधि–2013–14 एवं 2014–15)
भाग 1

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत बिहिया
2. लेखा की अवधि :– 2013–2014 से 2014–15
3. लेखापरीक्षा का उद्देश्य :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किये गये पंजियों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिनकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 27.06.15 से 3.07.15
5. **प्रशासन** :–

1) अध्यक्ष

क) श्रीमती नाजीरन खातुन	09.06.2012 से 7.8.2014
श्रीमती उर्मिला देवी	8.8.2014 से 31.3.2015

2) उपाध्यक्ष

क) श्री जानकी सिंह	9.6.2012 से 31.3.2015

3)कार्यपालक पदाधिकारी	**अवधि**
श्री राजीव रंजन निखर	12.9.2011 से 8.7.2013
श्री बासुकी नाथ श्रीवास्तव	9.7.2013 से 31.7.2014
श्री अनुभूती श्रीवास्तव	31.7.2014 से 31.3.2015

6 लेखापरीक्षा दल के सदस्य

1. श्री रौशन कुमार (ले0प0)
2. श्री राजेश कुमार– (स0ले0प0अ0)

7. **पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम–**

8. **पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका

पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक स्थानीय लेखापरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही अंकेक्षण को अवगत कराया गया कि अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अनुसार नगर निगम द्वारा कितने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सशक्त स्थायी समिति तथा नगर निगम बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखा गया तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी।

निगम कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि इस संदर्भ में नगर विकास एवं आवास विभाग पटना से पत्राचार किया जा रहा है। अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एक प्रति शीघ्र भेजने हुए अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर विभाग में भेजा जाएगा।

9. सामान्य अभियुक्ति:–

नगर पंचायत बिहिया की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी,अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसुली हेत अपेक्षित प्रयास किए जाए। नगर पंचायत बिहिया प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए अवरोधित राशि का उपयोग नही किया जा रहा था। नगर पंचायत प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

10.कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हाँ (3.07.2015)

11. लेखापरीक्षा का परिणाम :–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– शून्य
वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹ 2442496.00
आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹ 910228.00
विस्तृत विवरणी विवरण सं0–7 पर है।

12. बजट :–

बजट प्राक्कलन

बजट प्राक्कलन बनाने में लेखा नियमावली का पालन नहीं

i- बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र में नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–136 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु नगरपालिका की अनुमानित प्राप्ति तथा भुगतान का वार्षिक अनुमान बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–77 में तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त नियम–134(10) के अनुसार बजट प्राक्कलन से संबंधित विवरणों को बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–75 से 80 के प्रारूप में बनाया जाना है।

लेकिन नगर पंचायत, बिहिया द्वारा पारित बजट निर्धारित प्रपत्रों में नहीं बनाया गया था।

ii-बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–132 के अनुसार वार्ड समिति या अन्य नागरिक संस्थानों द्वारा आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक वार्ड के नागरिकों की राय इकट्ठी की जायेगी। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी 15 जनवरी से पहले नागरिक सभा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अनुमानित आय तथा व्यय नागरिकों के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख तथा सशक्त स्थानीय समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहकर इसमें भाग लेंगे। नागरिकों के सुझाव, विचारों को वार्षिक बजट बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाना है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत, बिहिया द्वारा बजट बनाते समय लेखा नियमावली, 2014 के नियम–132 का पालन नहीं किया गया था। इसके कारण बजट में सार्वजनिक सहभागिता शामिल नहीं हो पायी तथा बजट नागरिकों के मूल्यवान सुझावों एवं विचारों से वंचित रह गया।

iii-बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जॉच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। साथ ही, समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तविकता में पॉच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत, बिहिया द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी थी तथा बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय–व्यय में अत्यधिक अंतर था।

पचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि नगर पंचायत द्वारा बजट तैयार किया जा चुका है। बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 132 के अनुसार वार्ड समिति या अन्य नागरिक संसाधनो द्वारा विचार के पश्चात एवं सशक्त स्थाई समिति मे बजट की स्वीकृति प्राप्त किया गया है। बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं किया गया है। इस विंदु को भविष्य के लिए अंकित किया गया है।

13.वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–120 के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71 में तैयार करना है तथा नियम–122 के तहत प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71, आय तथा व्यय विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–73 एवं आर्थिक चिट्ठा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–74 में संधारित करना है।

लेकिन नगर पंचायत बिहिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–2014 एवं 2014–15 का न तो वित्तीय विवरण तथा न ही वार्षिक लेखा का संधारण किया गया था।

पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि नगर पंचायत बिहिया का अलग खाता खोला गया है।

आय व्यय पंजी अंकेक्षण में दिखाया गया है। नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा संधारण के संदर्भ में

कोई जवाब नही दिया गया अतः इसका संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

14(i). आय–व्यय

आय–व्यय

नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा अनुदान पंजी एवं आय व्यय तैयार नहीं किया गया था, परंतु लेखापरीक्षा में लेखापाल रोकड़बही, बी.आर.जी.एफ एव SJSRY रोकड़बही प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार आय व्यय तैयार किया गया था :–

	2013–14	2014–15
प्रारंभिक शेष	27690324.82	30942461.62
प्राप्ति	16357395.8	8578422
कुल	44047720.62	39520883.62
व्यय	13105259	27410847.72
अतंशेष	30942461.62	12110035.9

(विवरणी–3 पर संलग्न)

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

(i) बिहार नगरपलिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 12(i) के अनुसार नगर पंचायत को रोकड़बही निर्धारित प्रपत्र बी.एम.आर प्रपत्र संख्या –1 में संधारित करना है, परन्तु रोकड़बही लेखपाल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं किया गया थां।

(ii) रोकड़बही में वर्ष के अंत में और मासिक मदवार विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

(iii) अलग–अलग मद के लिए अलग–अलग रोकड़बही एवं पासबुक संधारित किया जा

रहा थां।

(iv) लेखपाल रोकड़बाही के व्यय भाग में किस मद से राशि व्यय की गई था इसे नहीं दर्शाया गया था।

जवाब दिया गया कि वार्षिक लेखा अनुदान पंजी एवं आय– व्यय के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि राकड बही में दर्शाये गये राशि वितीय वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 का उल्लेखित है। भविष्य में जो त्रुटि दिखाई गई है उसका निराकरण करते हुए अगले अंकेक्षण में उपस्थपित किया जायेगाा।

14(ii). बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 13(1) के अनुसार बैंक बही का सधारण लेखपाल को बी. एम.ए. आर. प्रपत्र संख्या –3 में करना है। जिसमे प्रत्येक बैंक खातो के लिए पन्नों की श्रृखंला जिससे बैंक का विवरण तथा खाता संख्या नामित कर तैयार किया जाना है बैंक बही में प्रत्येक बैंक या ट्रेजरी खातो में जमा एवं निकासी से संबंधित चाहे नकद या चेक मे लेन–देन की गई हो सारी प्रविष्टियाँ की जाएगी, इसके अतिरिता 13 (5) में प्रावधान किया गया है कि बैंक या कोषागार के खातो में वास्तविक अंतशेष का मिलान समय–समय पर तथा कम से कम महिने में एक बार बैंक बही के साथ करनी है। लेकिन नगर पंचायत बिहिया के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बैंक बही का संधारण नहीं किया गया था।

नगर पंचायत बिहिया के लेखा–शाखा द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत रोकड़बही जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2015 तक कुल तीन रोकड़ बही का अंतशेष ₹ 12110035.9 था जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क0 सं0	माह	31 मार्च अंतशेष
(1)	लेखापाल रोकड़बही	7934248
(2)	BRGF	703140=90
(3)	SJSRY	3472647
	कुल	12110035.9

लेखापरीक्षा में उपलब्ध पास बुक विवरणी के अनुसार बैंक पास बुक का कुल अंतशेष ₹24539445.18 है। अतः रोकड़बही एवं पासबुक के 31.03.15 अंतशेष का अंतर ₹ 12429409.28 का समाधान कर लेखापरीक्षा बताये जाने के संबंध में जवाब दिया गया कि बिहार लेखा नियमावली –2014 के नियम 13(I) के अनुसार बैंक बही का संधारण किया गया है। भविष्य में दर्शाये गये बिन्दुओ पर जाँच की कार्रवाई की जायेगी। अतः रोकडबही एवं पासबुक के अतंर का समाधान कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

भाग–II (क)–शून्य

भाग–II (ख)

1. सैरात बंदोबस्ती में ₹9.29 लाख राजस्व की हानि

सैरात बंदोबस्ती संचिका के जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत बिहिया में 2013–14 में वाहनों से सेवा कर वसूली एवं बाजार टोल टैक्स की बसूली की बंदोबस्ती तथा 2014–15 में वाहन सेवा कर वसूली, बाजार टॉल्स एवं टिन. टिकट की वसूली की बंदोबस्ती की गई थी, परंतु बंदोबस्तीधारक द्वारा ₹929300 जमा नहीं की गई थी जिससे नगर पंचायत को राजस्व की हानि हुई।

क0 सं0	बंदोबस्ती राशि	जमा की गई राशि	नहीं जमा की गई राशि	बंदोबस्ती धारक का नाम
1. वाहन शुल्क	961800(2013–14) 1035000(2014–15)	677080 621000	284720 414000	संजय कुमार जितेन्द्र कुमार
2. बाजार हॉल्स	338700(2013–14) 375000(2014–15)	273980 230000	64720 145000	संजय कुमार जितेन्द्र कुमार
3. टीन टिकट निबंधन शुल्क	31300(2014–15)	10440	20860	नन्द जी सिंह
		कुल	929300	

लेखापरीक्षा में निम्न तथ्यों को स्पष्ट नही किया गया था––

(क) बाजार टॉल्स वसूली के 2013–14 में बिना एकरारनामा एवं आदेश के वसूली किया गया था।

(ख) 2013–14 में वाहन शुल्क एवं बाजार टॉल्स शुल्क की बंदोबस्ती वसूली बिना एकरारनामा के किया गया था।

(ग) 2013–14 एवं 2014–15 में बंदोबस्तीधारक से बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई थी इसे स्पष्ट किया जाय।

जवाब दिया गया कि सैरातो की बंदोबस्ती वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 का संचिका में राशि उल्लेखित किया गया है। उल्लेखित राशि पर बकाया राशि का जो ऑकड़ा उल्लेखित किया गया है उसे बकायेदार पर कार्यालय द्वारा राशि जमा करने हेतु नोटिस दिया गया है। उक्त सैरातो में 60 प्रतिशत राशि जमा की गई तथा 40 प्रतिशत राशि उन लोगो को जमा करना है। सरकारी नियमानुसार उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।

2.मोबाईल टावर बकाया की वसूली नहीं

बिहार संचार मीनारो से संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 में प्रावधान किया गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरो से पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 30000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क रू0 8000 प्रतिवर्ष वसूल किया जाना है। इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरांत नवीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी

नगर पंचायत, बिहिया में कितने संचार मीनार अधिष्ठापित है तथा उनमें से कितने का पंजीकरण नगर पंचायत कार्यालय में किया गया है के माँग एव वसूली पंजी का संधारण कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार वित्तिय वर्ष 2014–15 तक नगर पंचायत क्षेत्र में 9 मोबाईल टावर कार्यरत थे जिसका नवीकरण नगर पंचायत कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था। इन टावरों पर मार्च 2015 तक कुल रू0 654000 बकाया था। अतः लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य को स्पष्ट नही किया गया था–

(1.) नगर पंचायत क्षेत्र मे स्थापित मोबाईल टावर के माँग एवं वसूली पंजी का संधारण क्यों नहीं किया गया था ।

(2.) बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पंचायत द्वारा कब–कब नोटिस निर्गत किया गया था।

(3.) राजस्व जमा नहीं करने पर इनके विरूद्ध दण्डातमक कार्रवाई क्यो नहीं की गई।

जवाब में बताया गया कि अभी तक 9 मोबाइल टावर से कुछ भी राशि उपलब्ध नहीं हुआ है।नोटिस दिया जा रहा है इससे पूर्व सभी मोबाईल टावर कंपनीयों की नगर पंचायत, बिहिया में बैठक में भाग में लेने के लिए बुलाया गया था। बैठक में उच्चतम न्यायालय में केस दायर करने से अवगत कराया गया। उच्चतम न्यायालय से नगर निकायो के पक्ष में फैसला हो चूकी है, वसूली की कर्रवाई विधिवत रूप से की जायेगी।

अतः मोबाईल टावर कपंनी से ₹654000 की वसूली की जाए।

3.निरस्त

4.निरस्त

5.मकान कर की राशि ₹ 162692/– संबंधित कोष में जमा नहीं

नगर पंचायत, बिहिया के वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कर संग्राहक श्री रामेश्वर प्रसाद को निर्गत किए गए विभिन्न रसीदो द्वारा उनके द्वारा संग्रहित की गयी राशि संबंधित कोष में जमा नहीं दिखाया गया, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार हैं :–

क्र0 सं0	रसीद सं0 कहाँ से कहाँ तक	संग्रहित की गयी राशि	नहीं जमा की गयी राशि
1.	514 से 600	82450	82450
2.	457 से 500	80242	80242
		कुल	162692/–

जवाब में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–2014 से 2014–2015 के मकान कर रू 82450 एवं ₹8242 की राशि संबंधित कोष मे नही जमा करने के आपति के संदर्भ में श्री रामेश्वर प्रसाद को वसूली कर्ता द्वारा नगर पंचायत बिहिया के निधि कोष मे उक्त राशि को जमा कर दी गई है। जमा से संबंधित साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः राशि ₹162692.00 वसूलनीय है।

6.विविध रसीद से संग्रहित राशि ₹ 959578/– नहीं जमा

नगर पंचायत बिहिया के वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 के अंकेक्षण में पाया गया कि विविध रसीद से संग्रहित की गयी राशि रू0 959578/– संबंधी मद में जमा नहीं दिखाया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार है :–

क0 सं0	रसीद सं0	किसे निर्गत किया गया	निर्गत करने की तिथि	संग्रहित की गयी राशि	नहीं जमा की गयी राशि
1.	72 से 100	राजमणि कुमार	13–04–12	1260	1260
2.	210 से 239	रामराज्य चौधरी	01–02–13	48090	48090
3.	101 से 120	कामेश्वर प्रसाद सिंह	13–04–12	910228	910228
				कुल	959578/–

जवाब में बताया गया कि राजमणी कुमार गुप्ता की रसीद सं0 72 से 100 तक की राशि ₹1260 आपत्ति में दर्शाई गई है तथा श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह की रसीद सं0 101 से 120 तक है जिसकी संग्राहित राशि ₹910228 में दर्शाई गई है। कैशियर कैश बुक एवं पास बुक में दर्ज है। उक्त दोनों राशि श्रीरामराज्य चौधरी की विविध रसीद सं0 201 से 300 और 210 से 239 जिसकी राशि ₹48090 हैं यह रसीद बुक श्रीविध्यांचल कुमार को नगर प्रबंधक के आदेशानुसार 1.2.2013 दिनांक को दिया गया। जिसका उपयोग श्री विंध्याचल कुमार द्वारा किया गया उनकी तबीयत खराब रहने के कारण अंकेक्षण में उपस्थित नही हुए। यह राशि उन्ही के द्वारा जमा करना है।

जवाब मान्य नही है क्योंकि इसकी जाँच स्वतः इकाई द्वारा की गई है अतः अगले अंकेक्षण में दिखाए जाने तक राशि ₹910228 आपत्ति के अतंर्गत रखी जाती है। इसके अलावा ₹ 49350(₹48090+₹1260) जवाब के आलोक में सबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।

7.सैरात बंदोबस्ती में स्टांप शुल्क नहीं लिया जाना

सचिव सह आई0 जी0 पंजीकरण बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के आलोक में सरौतों की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टांप पेपर पर करना है तथाबंदोबस्तीधारी से

तीन प्रतिशत के बराबर स्टांप शुल्क लेना है।

लेकिन नगर पंचायत बिहिया द्वारा बंदोबस्त किए गए तीन सैरातो के संचिकाओ के जाँच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बंदोबस्त सैरातों का न तो एकरारनामा किया गया था तथा न ही स्टांप शुल्क लिया गया था, इसी प्रकार 2014–15 में एकरारनामा किया गया था, परंतु तीन प्रतिशत स्टांप शुल्क नहीं लिया गया था, इस कारण नगर पंचायत को स्टांप शुल्क के रूप में रू0 82254 की क्षति हुई जिसका विवरण निचे दिया गया है :–

क0 सं0	सैरात का नाम	बंदोबस्ती की अवधि	बंदोबस्ती राशि	स्टांपशुल्क राशि	बंदोबस्ती धारक का नाम
1.	वाहनों से सेवा कर वसूली	2013–14 2014–15	961800 1035000	28854 31050	संजय कुमार जितेन्द्र सिंह
2.	बाजार टैक्स की वसूली	2013–14 2014–15	338700 375000	10161 11250	संजय कुमार जितेन्द्र सिंह
3.	ट्रीन टिकट निबंधन शुल्क	2013–14 2014–15	 31300	 939	श्री नन्द जी सिंह
			कुल	82254	

जवाब दिया गया कि वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 का सैरातो की बदोबस्ती का निर्देश का अवलोकन किया गया। भविष्य मे 3 प्रतिशत स्टांप शुल्क एवं एकरारनामा को लेकर ही बंदोबस्ती की जाएगी।

जवाब संतोशजनक नही है क्योकि वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 स्टांप शुल्क क्यों नहीं ली गई इसका जवाब नही दिया गया अतः स्टांप शुल्क की राशि ₹82254 संबंधित या जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है।

8.होल्डिंग कर बकाया ₹48.82लाख

नगर पंचायत बिहिया कार्यालय के कर शाखा द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत में नगर पंचायत का कुल ₹4881555 राशि होल्डिंग टैक्स के रूप में बकाया था जिसका विवरण निम्न हैः–

वर्ष	कुल माँग ₹	कुल वसूली ₹	कुल बकाया ₹
2013–2014	2600000	162080	2437920
2014–2015	2600000	156365	2443635
		कुल	4881555

बकाये होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए नगर पंचायत कार्यालय द्वारा क्या कार्रवाई की गयी थी तथा टैक्स वसूली के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में दिए गए प्रावधानों में से किन–किन प्रावधानों का उपयोग किया गया है। जवाब दिया गया कि भवन कर बकाया राशि ₹ 4881555 के विरूद्व कार्यालय द्वारा भवन कर बकायदारो पर नोटिस किया गया था तथा नगर पालिका अधिनियम 2007 के आलोक में भवन कर वसूली हेतु उचित कार्रवाई किया जाएगा। अतः बकाया भवन कर ₹4881555 की वसूली की जाए।

9.नगर पंचायत के दुकानो पर ₹ 564900 का किराया बकाया

नगर पंचायत, बिहिया में दुकानो से संबंधित माँग एव संग्रहण पंजी का संधारण नहीं कियागया था। इसके अभाव में सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि नगर पंचायत के पास कितने दुकान है तथा उसमें से कितने दुकानो को किराया पर लगाया गया था, इन दुकानो का किराया कितना निर्धारित किया गया था तथा उसके विरूद्ध कितनी राशि की वसूली की गयी था।

अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 510 दुकानों को किराया पर लगाया गया है। इस विवरणी के अनुसार इन दुकानो पर मार्च 2015 तक कुल ₹564900 बकाया था। जवाब दिया गया कि नगर पंचायत बिहिया का अपना का कोई दुकान नहीं है ओर न ही कोई किराया बकाया है। लेकिन नगर पंचायत बिहिया में लगभग 510 निजी व्यवसायिक दुकान है जिसका वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 के वार्षिक किराया की राशि ₹564900 बाकी है। इसको बकायादार दुकानदारों से बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी। अतः ₹564900 के बकाये राशि की वसूली की जाए।

10 .शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि ₹ 79610 संबंधित विभागो का स्थानांतरित नहीं

बिहार प्राथमिक शिक्षा नियमावली 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य सेस नियमावली 1972 के प्रावधानो के अनुसार सभी नगर निकाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर के रूप में प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत वसूली

चार्ज के रूप में नगर निकाय में रखेंगे एव बाकी बचे 90 प्रतिशत राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करेंगे, परन्तु निकाय द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि रू 79610 संबंधित निधि में जमा नही किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

क0 सं0	वर्ष	शिक्षा उपकर की राशि	स्वास्थ्य उपकर की राशि
1	2013–14	20260	20260
2	2014–15	19545	19545
		39805	39805

वितीय वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि ₹ 79610 को संबंधित विभाग को स्थनांतरित करने की कार्रवाई किया जायेगा। अतः इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

भाग–III (TAN)

1.मकान कर का रसीद बुक अप्रस्तुत

नगर पंचायत बिहिया के वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 के अंकेक्षण में पाया गया कि मकान कर का रसीद बुक नं0–8 एवं 10 अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क0 सं0	रसीद सं0 कहाँ से कहाँ तक	निर्गत की तिथि	किसे निर्गत किया गया है
1.	701–800	24–02–14	रामेश्वर प्रसाद
2.	901–1000	25–03–15	रामेश्वर प्रसाद

जवाब में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–2014 से 2014–2015 के मकान कर की रसीद संख्या 701 से 800 में रसीद संख्या 711 से 799 तक की वसूली की गई राशि नगर पंचायत बिहिया के निधी कोष में जमा कर दी गई है तथा रसीद संख्या 901 से 1000 तक की वसूली गई राशि वर्ष 2015–2016 के अतंर्गत आता है।

जवाब संतोषजनक नही है क्योकि रसीद बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया और न ही जमा की गई राशि दिखाई गई थी अतः अप्रस्तुत रसीद अगले अकेंक्षण में दिखाया जाए।

2.नगर पंचायत की योजनाओं को जिला योजना समिति में नहीं भेजा जाना

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 167 में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिकाओं द्वारा पारित की गयी योजनाओं को समेकित करने हेतु जिला योजना समिति को भेजना है। जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन कर पूरे जिला के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप बनाएगी और जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजनाओं को सरकार के पास अग्रसारित करेगा।

लेकिन नगर पंचायत, बिहिया के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वित्तीय 2013–14 तथा 2014–15 की अवधि में क्रियान्वित करायी गयी योजनाओं को जिला योजना में समेकित करने हेतु जिला योजना समिति को नहीं भेजा गया था। जबकि जिले की सभी योजनाओं को क्रियान्वयन से पूर्व जिला योजना समिति द्वारा पारित होना चाहिए।

इस संदर्भ में नगर पंचायत समिति द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया आपत्ति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

3.अनुदान पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–69 के अनुसार सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान बही में प्रपत्र संख्या–28 के प्रारूप में संधारित करना है। जिसमें अनुदान का नाम, स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का पदनाम/आदेश, अनुदान की प्रकृति, अनुदान की अवधि, अनुदान के मद में व्यय, अवधि समाप्ति के अंत में अनुदान की अवशेष राशि तथा लौटायी गयी अव्यवहृत अनुदान राशि को दर्शाया जाना है। लेकिन नगर पंचायत, बिहिया में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया है। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या है तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये हैं एवं न ही यह ज्ञात हो सका वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान कौन–कौन से अनुदान प्राप्त हुए।

पंचायत, कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये विभिन्न रोकड़बहियों तथा अन्य अभिलेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 में इस पंचायत, को कुल ₹31304214 का अनुदान प्राप्त हुआ था जिसकी विवरणी–4 पर संलग्न की गयी है।

अनुदान बही के अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि प्राप्त अनुदानों एवं अवशेष अनुदानों के विरूद्ध कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 में व्यय की गयी तथा वर्ष के अंत में कितनी राशी अनुपयोगी पड़ी रह गयी।

अंकेक्षण में निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट नहीं किया गया–

1- अनुदान पंजी का संधारण क्यों नहीं किया जा रहा था
2- नगर पंचायत, कार्यालय द्वारा सरकार से प्राप्त हुए अनुदानों की उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया था।

जवाब दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 का अनुदान पंजी खोला गया है।

अनुदान पंजी विहित प्रपत्र में नही तैयार किया गया था अतः विहित प्रपत्र में तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

4.भाउचरों का संधारण नियमानुकूल नहीं

नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–18 (1) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक श्रृंखला के भाउचर की अलग–अलग संख्यांकन तथा प्रत्येक निधि के लिए अलग–अलग कोड स्पष्ट रूप से दिये जायेंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नयी संख्या भाउचर पर दिये जायेंगे। श्रृंखला संख्या भाउचर बही के मान्य श्रेणी के अनुरूप होगा जैसे प्राप्ति भाउचर (प्रपत्र सं0–8), भुगतान भाउचर (प्रपत्र सं0–9), कन्ट्रा भाउचर (प्रपत्र सं0–10) तथा जनरल भाउचर (प्रपत्र सं0–11)। इसके साथ ही, नियम 18 (2) में प्रावधान किया गया है कि भाउचर श्रृंखला का संख्यांकन सही ढंग से रखने के लिए प्रत्येक निधि के लिए क्रमिक संख्यावार सूचि प्रत्येक वर्ष के लिए बी0एम0ए0आर0 संख्या–12 में रखी जाएगी।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. नगर पंचायत, बिहिया के अंकेक्षण में पाया गया कि इस नगर परिषद में रोकड़बही में भाउचर संख्या दर्ज नहीं किया गया था तथा न ही भाउचरों को गार्ड फाइल में रखा गया था।

2.अंकेक्षण में स्पष्ट नही किया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा भाउचरों को क्रमवार नियमानुकूल क्यों नहीं रखा गया था

जवाब दिया गया कि गार्ड फाईल खोला गया है।योजना संबधित भाउचर एवं एम भी का अवलोकन आवश्यक होता है, जो गार्ड फाईल में रखने को जगह नही मिलता है।

भाउचरो को नियमित प्रपत्र मे संधारण कर अगलें अंकेक्षण में दिखाया जाए।

5.महत्वपूर्ण अभिलेखों का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के विभिन्न धाराओं तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के विभिन्न नियमों के अनुसार नगरपालिका के लेखाओं एवं अभिलेखों को संधारण करना है। साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य लेखाओं एवं अभिलेखों को भी पारदर्शितापूर्ण ढंग से संधारण करना है। लेकिन नगर पंचायत, बिहिया के अंकेक्षण में पाया गया कि 27 महत्वपूर्ण अभिलेखों का संधारण नगर पंचायत कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है जिसकी विवरणी–5 पर संलग्न की गयी है।

इन अभिलेखों का संधारण नहीं करने के कारण नगर पंचायत कार्यालय द्वारा किये जा रहे राजस्व संग्रहण, व्ययों, कार्यों तथा ऑकड़ों की सही स्थिति ज्ञात करना कठिन है। साथ ही निर्धारित प्रारूप में इन अभिलेखों का संधारण नहीं करने के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

जवाब दिया गया कि नगर पंचायत बिहिया म`लेखाओ एव अभिलेखों कों संधारण करना है, जिसके मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का संधारण किया गया है।

जवाब के आलोक में अभिलेखों का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

6.ब्याज की राशि ₹ 153594 लेखापाल रोकड़बही में रखा जाना

बिहार सरकार योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक यो0– 4/1–48/2012/3311/यो0 वि0 पटना दिनांक 17/08/2012 के मार्गनिर्देश के अनुसार क्रम सं0–02 के भाग (iii) के अनुसार योजनाओ से संबंधित राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि के निगम/समिति के स्तर पर अलग संधारित किया जाए, वित्तिय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद निगम/सोसाईटी द्वारा राशि का पूर्ण विवरण आवंटन करनेवाले प्राधिकार को देना होगा।

मार्गनिर्देश के भाग (vi) के अनुसार योजना विशेष के लिए स्वीकृत राशि के अधीन योजना पूर्ण हो जाए और प्राक्कलन के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं हो तो अर्जित ब्याज की राशि को प्राप्त शीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियों के संगत उपशीर्ष में जमा करना है

मार्गनिर्देश के भाग (iv) के अनुसार योजनाओं मे सूद की राशि का उपयोग उसी योजना के कार्यान्वयन पर किया जाना चाहिए।

नगर पंचायत बिहिया में उपलब्ध रोकड़बही एवं पास बुक के अनुसार 4 बैंक से ब्याजप्राप्त की गई थी। दिनांक 01.08.14 तक कुल रू0 153594 ब्याज की राशि संधारित की गई थी(जिसकी विवरणी–6 पर संलग्न है) जबकि मार्गनिर्देशिका के अनुसार अर्जित ब्याज की राशि उसी योजना पर खर्च होना चाहिए, परंतु लेखापाल रोकडबही में ब्याज की राशि संधारित होने से यह पता नहीं चल सका कि ब्याज की राशि किस मद में खर्च किया गया है।

सभी मद के एक ही रोकड़ बही में ब्याज राशि संधारित किया गया था।

जवाब में बताया गया कि सभी बैंक खातों के अनुसार भवन कर वसूली में शिक्षा स्वास्थ्य की राशि ₹153594 दर्ज की गई है यह राशि संबंधित शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से सहमति प्राप्त कर विकास

योजनाओं पर खर्च करने की अनुमति माँगी जा रही है। भविष्य निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। अतः इस संदर्भ में अग्रेतर कारवाई की जाए।

हस्ता0–
(राजेश कुमार–III)
स0ले0प0अ0

हस्ता0–
अनुमोदित
उपमहालेखाकार––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना

नगर पंचायत लिहिया (विवरणी - I)

लेखा वर्ष 2013-14 से 2014-15

भाग-1 (कंडिका-5)

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख :-

1. रोकड़ बही एवं पासबुक
2. पास बुक विवरणी
3. होल्डिंग रसीद
4. विविध रसीद
5. संचित संचिका
6. भाउचर आंशिक
7. मोबाईल टावर विवरणी
8. होल्डिंग बकाया विवरणी
9. दुकान किराया विवरणी
10. योजना विवरणी
11. योजना संचिका (आंशिक).

AAO

नगर पंचायत बिल्हा (विवरणी - II)

लेखा वर्ष 2013-14 से 2014-15

लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख

1. वार्षिक लेखा
2. अनुदान पंजी
3. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अनुपालन
4. वाउचर
5. सामग्री क्रय नस्तिका
6. पंचायत क्षेत्र में लगाए गए लाईट के अभिलेखापन सूची
7. संपत्ति पंजी
8. निवेश पंजी

AR

[illegible]

विवरणी (3)

आय–व्यय विवरणी(2013–14)

क्र0 सं0	मद का नाम	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	अंतशेष
1.	लेखपाल रोकड़बही	23713501=34	12813236=80	36526738=80 36526738 .14	10984212=30	25542525=81 25542525.84
2.	BRGF	811718	849159	660877 1660877	975365=70	685511=31
3.	SJSRY	3165105=48	2695000	5860105=48	1145681	471442 4714424.[illegible]
		27690324.82	16357395 .80	44047720.62	13105259	30942461.62

(2014–15)

क्र0	मद का	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	अंतशेष

सं0	नाम					
1.	लेखपाल रोकड़बही	255422325=84 25542525.84	7210432	32752957.84	24818709.84	7934248
2.	BRGF	685511=30 685511.30	1367990	2053501=30	1350360=40	703140=90
3.	SJSRY	471424=48 471424.48		471424=48 471424.48	1241777.48	3472647
		30942461.62	8578422	39520883.62	27410847.72	12110035.9

RK/14 (विवरण)

नगर पंचायत, निहिला (वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15)

क्रमांक	पत्रांक/दिनांक	मद का नाम	राशि (₹)
1	12/जन का॰ 10-10-13	जनगणना कार्य के कम्प्यूटर सहयोग हेतु	81935
2	12/जन का॰ 10-10-13	जनगणना कार्य हेतु जिला परामर्श पुस्तिका कार्य हेतु	7000
3	12/जन का॰ 10-10-13	जनगणना कार्य हेतु प्रशिक्षण हेतु	5000
4.	17/17-05-14	नगर प्रबंधक के मानदेय के लिए	2,40,000
5.	42/26-09-13	पेशाकर मद में ली गयी कटौती की समर्पित राशि	3,96,645
6.	7/30-04-13	नगर निकाय मुख्य पार्षद/पार्षद को प्रतिमाह मिलने वाली बैठक भत्ता	67,200
7.	134/15-03-14	चतुर्थ राज्य वित्त अनुदान	80,02,790
8.	—	कबीर अंत्येष्टी (सामान्य + विशेष)	156000 +51000 2,07,000
9	—	—	8,18093
			13,34,295
11.	T.A-19, स्थापना, प्रा॰ 565, 29-01-15	सामान्य मूल्यांकन शुल्क राशि (मार्च-08-फ॰-13) कुल = 20.	89,63,542
12.	114/09-01-15	टैंकर उपलब्ध कराने हेतु	1,50,000
13.	08/29-05-14	नगर प्रबंधक के मानदेय के लिए	2,40,000

P.T.O